राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
E-mail- smsa.asfc2021@gmail.com

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/वै.शि./SAMAGRA/ Eco Club Mission LiFE Direction/2026–27/7042 दिनांक :- 17/7/26

ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ
Eco Clubs for Mission LiFE (Lifestyle for Environment)
दिशा निर्देश 2026–27

प्रस्तावना –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) तथा भारत सरकार के Mission LiFE (Lifestyle for Environment) के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयों में शिक्षकों तथा अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक, सतत् जीवनशैली, प्रकृति के उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण देने एवम् सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** का संचालन किया जाना हैं। विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन (Behavioural Change) लाने, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व विकसित करने तथा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में यह गतिविधि प्रभावी भूमिका में कार्य करेगी।

वित्तीय प्रावधान –

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सत्र 2026–27 में यू–डाईस 2024–25 के आधार पर राज्य के 69140 राजकीय विद्यालयों यथा निदेशालय बीकानेर, संस्कृत विभाग, पंचायतीराज, जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, केजीबीवी हेतु (पीएमश्री विद्यालयों को छोड़ते हुए) बजट का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है। जिलेवार बजट परिशिष्ट – 01 पर संलग्न।

सारणी – 01

क्र.स.	विद्यालय का प्रकार	प्रति विद्यालय प्रावधित राशि	विद्यालय संख्या	प्रावधित कुल बजट लाखों में
1	प्राथमिक विद्यालय	5,000 /-	31945	1597.250
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	10,000/-	18040	1804.000
3	माध्यमिक/उ0मा0 विद्यालय	15,000/-	19155	2873.250
	सर्व योग		**69140**	**6274.500**

प्रावधित बजट का उपयोग –

- विद्यालय स्तर पर उपलब्ध राशि का उपयोग निम्न गतिविधियों हेतु किया जा सकेगा –

सारणी – 02

क्र.स.	मुख्य गतिविधि	मुख्य रूप से किये जाने वाले कार्य
1	**पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां**	• पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, **एक पेड़ माँ के नाम** इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन। • रैली, शपथ ग्रहण, जनजागरूकता अभियान एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम।
2	**Mission LiFE गतिविधियां**	• "Reduce, Reuse, Recycle" आधारित गतिविधियां। • प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अभियान। • ऊर्जा एवं जल संरक्षण अभियान। • सतत् जीवनशैली से संबंधित नवाचार गतिविधियां।

क्र.स.	मुख्य गतिविधि	मुख्य रूप से किये जाने वाले कार्य
3	**हरित विद्यालय विकास**	• पौधारोपण एवं पौध संरक्षण। • औषधीय वाटिका, किचन गार्डन। • जैव विविधता संरक्षण गतिविधियां। • **"एक पेड़ माँ के नाम"** गतिविधि का आयोजन।
4	**अपशिष्ट प्रबंधन**	• सूखा एवं गीला कचरा पृथक्करण। • कम्पोस्ट पिट एवं जैविक खाद निर्माण। • पुनर्चक्रण गतिविधियां।
5	**छात्र सहभागिता कार्यक्रम**	• पोस्टर, निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, मॉडल निर्माण प्रतियोगिताएं। • पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदर्शनियां एवम् नवाचार मेले।
6	**प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण**	• शिक्षक एवं विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण। • विशेषज्ञ व्याख्यान एवं शैक्षणिक भ्रमण।

उक्त गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य एवम् गतिविधियां –

ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ (Eco Clubs for Mission LiFE) गतिविधियाँ :–

1. बच्चों को अपने आस–पास के पर्यावरण, जैव–विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवम् प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** की स्थापना की गयी है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है।
2. विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवम् विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन को लागू करने के लिये **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** पुर्नगठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण आदि कार्य को **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** अन्तर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाये।
3. **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** के गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना।
4. विश्व पर्यावरण की थीम "ईको सिस्टम रिस्टोरेशनः– रीइमेजिन (फिर से बनाना) एवम् पुर्नस्थापना" करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व अर्द्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाये रखना, मृत पेड़–पौधों के स्थान पर जीवित पौधा रोपित करना, जल संरक्षण एवम् वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।
5. वृक्षारोपण, पर्यावरण के प्रतिकूल/अनुकूल प्रभावों पर आधारित चल–चित्रों की प्रदर्शिनी का आयोजन करें व इनमें अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवम् सेवारत समस्त राजकीय अधिकारी व कर्मचारी, पर्यावरण प्रेमी अर्थात् पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन करवाया जाए।
6. विद्यालय परिसर अथवा विद्यालय के अधीन पर्याप्त भूमि एवम् जलस्त्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवम् फलदार पौधों एवं किचन गार्डन को लगाया जाये।
7. राशि का उपयोग कचरा पात्र (नीला व हरा), जल निकासी की सुचारू व्यवस्था, वृक्षारोपण, वृक्षों की सिंचाई, ट्री गार्ड इत्यादि में भी किया जाए।
8. गतिविधियों में **क्विज़ प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, संगीत, पोस्टर, कला एवम् सांस्कृतिक गतिविधियां** इत्यादि को शामिल किया जाए।
9. विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों में रचनात्मक, कार्य–कौशल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर बनाए जाये। इस हेतु विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन/सहयोग दिया जाये।
10. विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दिए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन करवाया जाए।

11. कार्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज0, बीकानेर से जारी पत्रांक शिविरा–माध्य/मा–स/पर्यावरण (36)/वो–2/2026/22813331 दिनांक 16 जून, 2026 की पालना में **"एक पेड़ माँ के नाम"** कार्यक्रम संचालित करना।

विशेष गतिविधि व तिथियां –

माह	गतिविधि
जुलाई	वर्षा जल संरक्षण अभियान, वन महोत्सव (जुलाई प्रथम सप्ताह), पौधारोपण
अगस्त	प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अभियान, निबन्ध प्रतियोगिता
सितम्बर	स्वच्छता जागरूकता गतिविधियां, ओजोन दिवस (16 सितम्बर) भाषण प्रतियोगिता व जागरूकता रैली, नदी संरक्षण अभियान
अक्टूबर	ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, वन्यजीव सप्ताह (2-8 अक्टूबर), आपदा प्रबन्धन संस्थाओं के सहयोग से मॉक ड्रिल
नवम्बर	जैव विविधता एवं प्रकृति भ्रमण
दिसम्बर	अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला, विश्व मृदा दिवस व जागरूकता रैली (5 दिसम्बर), राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसम्बर)
जनवरी	पर्यावरण शपथ एवं प्रतियोगिताएं, स्वच्छ विद्यालय अभियान
फरवरी	हरित विद्यालय मूल्यांकन, जलाश्य संरक्षण अभियान
मार्च	वन्य जीव जागरूकता रैली (3 मार्च), जल संरक्षण (22 मार्च) शपथ व निबन्ध प्रतियोगिता
अप्रैल	स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त परिसर अभियान
मई	जैव विविधता प्रदर्शनी
जून	विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), पौधारोपण

राशि उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश व निर्धारित समय सीमा –

1. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –**

वित्तीय तिमाही	उपयोग ली जाने वाली राशि का प्रतिशत
जुलाई से सितम्बर	40%
अक्टूबर से दिसम्बर	30%
जनवरी से मार्च	30%

2. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर राशि का उपयोग –

क्र. स.	सामग्री का नाम	प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान
1	स्टेशनरी, पेन, पेन्सिल इत्यादि	500	500	1000
2	विद्यार्थियों की सामुहिक गतिविधियां	1500	3500	5500
3	विद्यालय में साफ–सफाई, स्वच्छता इत्यादि हेतु	1500	2500	3000
4	ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ की गतिविधियां	1500	3500	5500
	कुल राशि	**5000**	**10000**	**15000**

ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ गठन की प्रक्रिया :–

1. यूथ एवम् ईको क्लब को सत्र 2026–27 ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

2. गत सत्रों में यूथ एवम् इको क्लब के अन्तर्गत गठित किये गये सदनों का नाम ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ में यथावत रहेगा।

3. प्रत्येक विद्यालय में ईको क्लब फॉर मिशन लाईफ के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिये पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12के लिये ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम – पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवम् अग्नि होंगे।

4. विद्यालय संस्था प्रधान **ईको क्लब फॉर मिशन लाईफ** के प्रभारी अधिकारी होंगे।

5. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवम् कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

6. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।

7.प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

8. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।

9. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।

10. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करनी है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवम् प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।

11. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये **भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।**

12. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम का महत्व बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र–पत्रिकाओं इत्यादि स्त्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।

13. प्रत्येक सदन (हाऊस) में **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेंगी।

14. सभी विद्यार्थियों को **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

15. समय–समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य **ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ** की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी एवम् विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।

16. ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।

17. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाये।

18. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। **रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ के सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा।** रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रूचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

19. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को **"ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ रजिस्टर"** का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

विभिन्न स्तरों पर दायित्व एवम् उत्तरदायित्व

1. जिला स्तर

जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा), अति० जिला परियोजना समन्वयक के प्रमुख दायित्व –

- जिले के समस्त विद्यालयों में ईको क्लबस् का गठन करना व **https://ecoclubs.education.gov.in/** पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्तरीय वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।
- ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना।
- वन, पर्यावरण, नगर निकाय, जल संसाधन एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
- जिला स्तरीय विशेष अभियान संचालित करना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों का चयन एवम् प्रोत्साहन।
- राज्य स्तर पर प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना।

मॉनिटरिंग व्यवस्था –

- त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- प्रतिमाह प्राप्त ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टों का विश्लेषण।
- प्रत्येक ब्लॉक से न्यूनतम 10 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन।
- वार्षिक जिला स्तरीय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।

2. ब्लॉक स्तर

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) के प्रमुख दायित्व –

- ब्लॉक के सभी विद्यालयों में ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना।
- विद्यालय प्रभारियों का उन्मुखीकरण एवं मार्गदर्शन करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट संकलित कर जिला स्तर पर भेजना।
- स्थानीय संसाधन व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं अभियानों का आयोजन करना।

मॉनिटरिंग व्यवस्था –

- प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- प्रति माह न्यूनतम 10 विद्यालयों का निरीक्षण।
- विद्यालय गतिविधियों की फोटो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सत्यापन।
- गतिविधियों की गुणवत्ता एवं छात्र सहभागिता का मूल्यांकन।

3. पीईईओ स्तर

पीईईओ के प्रमुख दायित्व –

- अधीनस्थ विद्यालयों में गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण।
- विद्यालय भ्रमण के दौरान ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ गतिविधियों की समीक्षा।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट संकलन एवं ब्लॉक स्तर पर प्रेषण।
- विद्यालयों को तकनीकी एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना।
- उत्कृष्ट नवाचारों का दस्तावेजीकरण करना।

मॉनिटरिंग व्यवस्था

- प्रत्येक माह कम से कम 5 विद्यालयों का निरीक्षण।
- गतिविधि रजिस्टर एवं व्यय अभिलेखों का सत्यापन।
- पौधारोपण एवम् संरक्षण गतिविधियों का भौतिक सत्यापन।
- Mission LiFE गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का मूल्यांकन।

4. विद्यालय स्तर

संस्थाप्रधान के प्रमुख दायित्व

- ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ का गठन कर https://ecoclubs.education.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर संचालन सुनिश्चित करना।
- वार्षिक एवम् मासिक गतिविधि योजना तैयार करना।
- उपलब्ध बजट का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना।
- अभिलेखों एवं वित्तीय दस्तावेजों का संधारण।
- विद्यालय परिसर को हरित एवम् स्वच्छ बनाए रखना।

मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन संकेतक (Key Performance Indicators)
निम्न बिंदुओं के आधार पर समीक्षा की जाए –

क्र.स.	संकेतक	मारांक
1	ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ का गठन एवम् बैठकें	10%
2	विद्यार्थियों की सहभागिता	15%
3	Mission LiFE गतिविधियों का आयोजन	20%
4	पौधारोपण एवं संरक्षण	15%
5	जल एवम् ऊर्जा संरक्षण गतिविधियां	10%
6	अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता	10%
7	समुदाय सहभागिता	10%
8	अभिलेख एवं रिपोर्टिंग	10%

रिपोर्टिंग कार्य –

स्तर	रिपोर्ट की अवधि	प्रेषित किया जाएगा
विद्यालय	मासिक	पीईईओ
पीईईओ	मासिक	सीबीईओ/बीआरसी
ब्लॉक	मासिक	जिला कार्यालय
जिला	मासिक	राज्य कार्यालय

Eco Clubs for Mission LiFE Budget 2026-27

S.No.	District	PS	Finalncial @ Rs. 5,000/-	UPS	Finalncial @ Rs. 10,000/-	Secondary & Sr. Secondary	Financial @ Rs. 15,000/-	Total School	Total Financial
1	AJMER	397	19.85000	415	41.5000	515	77.2500	1327	138.600
2	ALWAR	526	26.30000	556	55.6000	559	83.8500	1641	165.750
3	BALOTARA	913	45.65000	399	39.9000	454	68.1000	1766	153.650
4	BANSWARA	2376	118.80000	449	44.9000	547	82.0500	3372	245.750
5	BARAN	831	41.55000	384	38.4000	348	52.2000	1563	132.150
6	BARMER	1683	84.15000	765	76.5000	694	104.1000	3142	264.750
7	BEAWAR	519	25.95000	357	35.7000	313	46.9500	1189	108.600
8	BHARATPUR	296	14.80000	288	28.8000	390	58.5000	974	102.100
9	BHILWARA	1288	64.40000	844	84.4000	651	97.6500	2783	246.450
10	BIKANER	1021	51.05000	442	44.2000	685	102.7500	2148	198.000
11	BUNDI	592	29.60000	362	36.2000	300	45.0000	1254	110.800
12	CHITTAURGARH	741	37.05000	604	60.4000	466	69.9000	1811	167.350
13	CHURU	344	17.20000	457	45.7000	651	97.6500	1452	160.550
14	DAUSA	689	34.45000	412	41.2000	471	70.6500	1572	146.300
15	DEEG	284	14.20000	231	23.1000	285	42.7500	800	80.050
16	DHAULPUR	510	25.50000	287	28.7000	342	51.3000	1139	105.500
17	DIDWANA-KUCHAMAN	490	24.50000	397	39.7000	505	75.7500	1392	139.950
18	DUNGARPUR	1892	94.60000	404	40.4000	487	73.0500	2783	208.050
19	GANGANAGAR	837	41.85000	554	55.4000	544	81.6000	1935	178.850
20	HANUMANGARH	279	13.95000	365	36.5000	469	70.3500	1113	120.800
21	JAIPUR	1256	62.80000	948	94.8000	1068	160.2000	3272	317.800
22	JAISALMER	714	35.70000	272	27.2000	299	44.8500	1285	107.750
23	JALOR	872	43.60000	476	47.6000	521	78.1500	1869	169.350
24	JHALAWAR	747	37.35000	582	58.2000	345	51.7500	1674	147.300
25	JHUNJHUNU	441	22.05000	496	49.6000	585	87.7500	1522	159.400
26	JODHPUR	1097	54.85000	627	62.7000	730	109.5000	2454	227.050
27	KARAULI	683	34.15000	351	35.1000	405	60.7500	1439	130.000
28	KHAIRTHAL-TIJARA	262	13.10000	240	24.0000	272	40.8000	774	77.900
29	KOTA	336	16.80000	409	40.9000	332	49.8000	1077	107.500
30	KOTPUTLI-BEHROR	251	12.55000	290	29.0000	326	48.9000	867	90.450
31	NAGAUR	726	36.30000	425	42.5000	489	73.3500	1640	152.150
32	PALI	400	20.00000	500	50.0000	453	67.9500	1353	137.950
33	PHALODI	700	35.00000	248	24.8000	277	41.5500	1225	101.350
34	PRATAPGARH	1188	59.40000	261	26.1000	288	43.2000	1737	128.700
35	RAJSAMAND	818	40.90000	465	46.5000	413	61.9500	1696	149.350
36	SALUMBAR	780	39.00000	189	18.9000	202	30.3000	1171	88.200
37	SAWAI MADHOPUR	437	21.85000	312	31.2000	355	53.2500	1104	106.300
38	SIKAR	582	29.10000	690	69.0000	732	109.8000	2004	207.900
39	SIROHI	487	24.35000	227	22.7000	290	43.5000	1004	90.550
40	TONK	641	32.05000	477	47.7000	384	57.6000	1502	137.350
41	UDAIPUR	2019	100.95000	583	58.3000	713	106.9500	3315	266.200
	Grand Total	31945	1597.25000	18040	1804.00000	19155	2873.25000	69140	6274.500

लेखा सम्बन्धी बिन्दु –

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

A-1

ईको क्लबस् मिशन लाईफ
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर) 2026–27

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2026–27 में ब्लॉक .... जिला .... के .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई ईको क्लब मिशन लाईफ की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा ईको क्लबस् फॉर मिशन लाईफ हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार मावि / उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि. वि.
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

ईको क्लबस् मिशन लाईफ
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर) 2026–27

A-2

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2026–27 में जिला .... को ईको क्लबस् मिशन लाईफ मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

A-3

ईको क्लब मिशन लाईफ
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) 2026–27

विद्यालय का नाम .... यू–डाईस कोड.............................

ईको क्लबस् मिशन लाईफ प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2026–27 में प्राप्त ईको क्लबस् मिशन लाईफ राशि रू. .... का उपयोग एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि......................रूपये है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	मण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

(डॉ0 रश्मि शर्मा) 17/7/26
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/औ.शि./Eco Clubs for Mission LiFE Direction/2026–27/7042 दिनांक 17/7/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशालय निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा निर्देश की क्रियान्विति के लिये संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ.प्रारम्भिक एवम् माध्यमिक/सीबीईओ/ सीआरसी को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद कार्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।